क्यों मुद्रीकरण, निगमीकरण और निजीकरण आपके लिए हानिकारक हैं!

AIFAP

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम

एक पर हमला, सब पर हमला !

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP)

जब से 1991 में निजीकरण की नीति को लागू किया गया,
तब से कामकाजी लोगों के अनेक यूनियनों और फेडरेशनों के साथ साथ
लोक संगठन निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं।

इस लडाई को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4 जुलाई 2021 को देश के अनेक यूनियनों, महासंघों, जन संगठनों तथा चिंतित नागरिकों ने एक साथ जुड़ कर सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम, यानि AIFAP का गठन कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे, बिजली, रक्षा उत्पादन, बैंक, टेलीकॉम, तेल उद्योग, कोयला, बंदरगाह जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 97 संगठन AIFAP में जुड़ गये हैं तथा और भी जुड़ रहे हैं।

AIFAP की वेबसाईट, **www.hindi.aifap.org.in**, आप को विविध क्षेत्रों के बारे में जानकरी, तथा निजीकरण के खिलाफ चल रहे संघर्षों के बारे में ताजा खबरें देती है, जिस से आप भी इन संघर्षों को अपना समर्थन और सहयोग दे सकें। आप भी अपने विचार और आप के संघर्षों के बारे में वार्ताएं, फोटो, विडियो, इ. हमें भेज सकते हैं।

आप की सुविधा के लिए एक मोबाइल ॲप है जिसे आप बहुत आसानी से गूगल प्लेस्टोअर पर AIFAP सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप जरूर AIFAP, उसकी वेबसाइट और मोबाइल ॲप के बारे में अपने परिजनों तथा साथियों–दोस्तों को बताएं।

इस कार्य में आप की बहुत जरूरत है!
आप के यूनियन, अन्य संगठन या फिर एक व्यक्ति बतौर आप का तथा आप के दोस्तों का इस फोरम में हार्दिक स्वागत होगा।
AIFAP को संपर्क करें और अपने देश के सभी लोगों के हित के लिए निजीकरण–विरोधी संघर्ष में भाग लें!

हम सभी को एकजुट होने और निजीकरण के खिलाफ जोरदार लड़ाई करने की जरूरत है!

निजीकरण उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक है

निजीकरण विभिन्न नामों––कॉर्पोरेटीकारण, विनिवेश, आउटसोर्सिंग, कंत्राटीकरण, आदि––से किया जाता है। उसका नवीनतम नाम संपत्ति का मुद्रीकरण है।

जब से 1991 में कांग्रेस सरकार ने निजीकरण और उदारीकरण के द्वारा भूमंडलीकरण की नीति को लागू किया तब से विभिन्न पार्टियों के सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, सरकारी विभागों और सेवाओं के निजीकरण के पुरजोर प्रयास किये हैं।

अपने देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अनुभवों ने दिखाया है कि जब निजी क्षेत्र सेवाएं अपने हाथ में लेता है तो वे खराब और महंगी हो जाती हैं और सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है।

अर्जेंटीना में रेलवे के निजीकरण के बाद 793 स्टेशन बंद कर दिए गए और 70,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जानलेवा दुर्घटनाओं सहित अन्य दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ गयी।

(इस कारण ऐसे विशाल प्रदर्शन हुए कि सरकार के पास पुनर्राष्ट्रीयकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा।)

हालांकि निजीकरण श्रमिकों और उपभोक्ताओं––सर्वसाधारण लोगों––के लिए हानिकारक होता है, इजारेदारियों के फायदे के लिए सरकारें उसे लागू करती हैं। मुनाफा अधिकतम करना इजारेदारियों का एकमात्र कार्यक्रम होता है। वे विश्व–स्तरीय सेवा केवल कुछ गिने चुने लोगों को प्रदान करते हैं जो आसमान–छूती दरें दे सकें।

निजीकरण जनविरोधी, मजदूर-विरोधी और देश-विरोधी है!

भाइयों और बहनों!

यह आमतौर पर एक जानी–मानी बात है कि किसी सार्वजनिक उद्यम या सरकारी सेवा या विभाग का निजीकरण, संबंधित मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। हालाँकि, सरकारों के साथ–साथ, मुख्यधारा का मीडिया भी, निजीकरण के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में इस तरह का बड़े पैमाने पर प्रचार करते है कि निजीकरण सभी उपभोक्ताओं और आम लोगों के लिए फायदेमंद है। यह प्रचार सरासर झूठा है!

कोई पूंजीपति क्या लोगों की सेवा करके जिंदा रह सकता है और बहुत धनवान बन सकता है या अधिकतम मुनाफा कमा कर? अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए क्या एक तरफ, मजदूरों का अधिकतम शोषण करने और दूसरी तरफ, उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अधिकतम–संभव कीमतें और शुल्क निचोड़ने के अलावा और कोई रास्ता है?

अगर आप प्रत्यक्ष टैक्स ब्रैकेट से नीचे भी आते हैं, फिर भी आप जब भी बाजार में कुछ भी खरीदते हैं तो आप सरकार को अप्रत्यक्ष–कर का भुगतान करते हैं। यह आपका पैसा है, हम सभी मजदूरों, मेहनतकशों और आम देशवासियों की खून–पसीने की कमाई है, जिसे सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए निवेश किया गया है। इस क्षेत्र को केवल हमारी, आम लोगों की, सेवा करनी चाहिए!

निजीकरण का उद्देष्य इसके बिल्कुल विपरीत है! निजीकरण के द्वारा, हमारे पैसे का इस्तेमाल करके, इजारेदार कंपनियों को और भी अमीर बनाया जाता है।

उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों के निजीकरण के नुकसानदेही नतीजे

विद्युत वितरण क्षेत्रः

» बिजली दरों में भारी वृद्धि
निजी उत्पादन कंपनियों को, समझौतों के माध्यम से, गारंटीकृत मुनाफे का आश्वासन दिया गया है, सरकारी वितरण कंपनियों को उनके साथ हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। निजी वितरण कंपनियां अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए बिजली दरों में वृद्धि करेंगी।

» बढ़ा हुआ बिजली बिल

» कोई सब्सिडी–वाली बिजली नहीं होगी
स्लैब के अनुसार बिजली दरों की व्यवस्था में कामकाजी लोगों की खपत निचले स्लैब में आती है। उन्हें उच्च स्लैब में खपत करने वालों से कम दर पर भुगतान करने का प्रावधान है। उसे समाप्त कर दिया जाएगा। आम लोगों को बिजली के लिए, बहुत अधिक दरों पर ही भुगतान करना होगा।

» कृषि के लिए कोई सस्ती बिजली नहीं जिसके परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें बढेंगी

» आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय, ध्यान उन उपभोक्ताओं पर केन्द्रित होगा जो अधिक बिजली की खपत और अधिक शुल्क देने का सामर्थ्य रखतें हैं

» कम बिजली की खपत वाले और दूरदराज के क्षेत्रों की उपेक्षा

» बिजली के कनेक्शन को काट देने की संभावनाएँ बढ़ जायेंगी
ग्रॉस ओवर–बिलिंग के मामले में, निजी कंपनियां उपभोक्ता की शिकायत पर गौर करने से पहले, ये सुनिश्चित करती हैं कि उसने पहले बिल का भुगतान कर दिया है। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है!

रेल क्षेत्रः

(इनमें से कई मुद्दे सड़क–परिवहन पर भी लागू होते हैं)

» किरायों के साथ–साथ प्लेटफॉर्म टिकट दरों में भारी वृद्धि, जिससे वे अधिकांश लोगों के सामर्थ्य के बाहर हो जाएंगे

» गतिशील–किराया नीति, यानी जितनी अधिक मांग, उतना अधिक किराया

» मालगाड़ियों के शुल्क में भारी वृद्धि, जिससे सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी

» कोई सीज़न टिकट नही
जैसे कि मेट्रो ट्रेनों और निजी बसों में इस तरह की सुविधा अभी भी नहीं है

» कोई रियायत नहीं
रियायतें जो इस समय, रेलवे और राज्य परिवहन बसों द्वारा छात्रों, बुजुर्गों, विकलांग लोगों आदि को दी जाती है

» पीने के पानी, शौचालय, बेड रोल, प्रतीक्षालय और लाउंज आदि जैसी हर सेवा के लिए शुल्क का प्रावधान

» प्लेटफार्मों और ट्रेनों में उपलब्ध भोजन की कीमतों में भारी वृद्धि, ट्रेन के अन्दर फेरीवालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और यात्री उन सस्ती वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, जिन पर वे निर्भर हैं

» स्टेशन परिसर में साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और कारों के लिए पार्किंग दरें इतनी महंगी कि आम लोगों के सामर्थ्य के बाहर

» ऑटोरिक्शा और तांगे जैसे परिवहन के सस्ते साधनों को स्टेशनों के पास नहीं आने दिया जाएगा, जैसा कि पहले से ही निजीकृत हवाई अड्डों पर इस समय दिखने में आता है

» गैर–लाभकारी मार्गों पर और जब ट्रैफिक कम होता है, ऐसे समय के दौरान बस और ट्रेन सेवाओं में कटौती और रद्द करना

» सुरक्षा–प्रावधानों के साथ समझौताः ड्राइवरों और रखरखाव–श्रमिकों को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करना, रखरखाव के लिए पर्याप्त समय नहीं मुहैया कराना, लागत में कटौती करने के लिए अप्रशिक्षित श्रमिकों को कोंट्रॅक्ट पर रखना।
यह पहले से ही निजीकृत सड़क परिवहन के साथ हो रहा है।

» निजी क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों को, रेल–पटरियों के इस्तेमाल के लिए, प्राथमिकता दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी–ट्रेनों का उपयोग करने वालों के लिए देरी होगी।

विभिन्न सरकारों ने निजीकरण को सही ठहराने के लिए कई बहाने--अच्छी और सस्ती सेवा, अधिक कुशलता, बेहतर गुणवत्ता, कम टैक्स का बोझ, ई.--दिये हैं। पिछले तीस वर्षों का अनुभव दिखाता है कि ये सब बहाने भोलेभालों को केवल बेवकूफ बनाने और नीति के लिए उनका समर्थन पाने के लिए है।

सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र की सभी इकाइयां और उद्यम श्रमिकों की पीढ़ियों के कठोर महनत और लोगों के पैसों के निवेश से बनाई गयीं हैं।

इस्पात क्षेत्रः

» निजी इजारेदार कंपनियों द्वारा मूल्य निर्धारण से, इस्पात की कीमतें बढ़ेंगी। इस से सभी उत्पादक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्टील (इस्पात) एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

बैंकिंग क्षेत्रः

» मुनाफा ना बनाने वाली शाखाओं को बंद करके ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ग्राहक, लालची–साहूकारों से कर्जा लेने के लिये मजबूर होगें

» दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाओं से वंचित किया जाने की संभावना है क्योंकि निजी बैंक केवल शहरी क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं

» जमाराशियों की असुरक्षा
सरकार के द्वारा कोई गारंटी नहीं होगी, इसलिए यदि निजी बैंक दिवालिया हो जाता है तो आप अपना पैसा खो सकते हैं।

» जमाराशियों के लिए बहुत कम ब्याज दर और ऋणों के लिए बहुत अधिक ब्याज दर

» छोटे उद्यमों, खेती और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई

» हर सेवा जैसे पासबुक प्रिंटिंग, चेक बुक आदि के लिए शुल्क लिया जायेगा

रक्षा उत्पादनः

» शस्त्र–उत्पादन का निर्धारण देश की रक्षा के लिए जो आवश्यक है, उसे नहीं, बल्कि निजी कंपनिया ज्यादा से ज्यादा मुनाफादायक शस्त्रों के उत्पादन को प्राथमिकता देंगी

» इस रणनीतिक क्षेत्र में, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित–निजी कंपनियों की प्रमुख भूमिका, हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी
निजी कंपनियां घटिया सामान और उपकरण प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल मुनाफा कमाने पर केन्द्रित रहता है। साथ ही उच्च–आपातकालीन हालातों में बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी कंपनियां, बिना मुनाफे के जरूरत से ज्यादा क्षमता बनाये रखने में कोई रूचि नहीं रखती हैं।

बीमा क्षेत्रः

» बीमा कराने के लिए अधिक प्रीमियम और जीवन और फसल बीमा–दावों के समाधान में देरी और दिक्कतें

» साधारण कामकाजी लोगों के जीवन बीमा की जरूरतों की उपेक्षा और समाज के केवल संपन्न तबकों पर ही ध्यान केन्द्रित करना

» ग्रामीण आबादी की मवेशी और झोपड़ी बीमा जैसी आवश्यकताएं लाभदायक नहीं हैं। उनकी उपेक्षा की जाएगी और इसके बजाय, आग और समुद्र से संबंधित बीमा जिस में बीमा कंपनियों को रुचि है और जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है उन पर ध्यान केन्द्रित होगा

» ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग बीमा सेवाओं से वंचित रहेंगे

दूरसंचार क्षेत्रः

» निजी दूरसंचार ऑपरेटर एक कार्टेल (उत्पादक संघ) बनाएंगे और मोबाइल–उपयोग की कीमतें बढ़ाएंगे

» निजी दूरसंचार ऑपरेटर ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे

» बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी राष्ट्रीय आपदाओं के समय, निजी दूरसंचार ऑपरेटर प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे नहीं आएंगे *यह सच, केरल, उत्तराखंड में बाढ़ और ओडिशा में चक्रवात के समय में देखने में आया और साबित हुआ।*

» बीएसएनएल ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार को आय और लाभांश आदि पर करों के रूप में 2,00,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। यह सब खो जाएगा। यह सर्व–विदित है के निजी ऑपरेटर अपनी कमाई छिपाने और करों का भुगतान करने से बचने के लिए अपने खातों में हेराफेरी करते हैं।

पेट्रोलियम क्षेत्रः

» पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, निजी–परिवहन को और अधिक महंगा बना रही है

» माल की परिवहन लागत में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी

» रणनीतिक–महत्व वाले इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की बढ़ती भूमिका से देश की सुरक्षा को खतरा होगा

कोयला क्षेत्रः

» कोयले की कीमत में वृद्धि से बिजली उत्पादन, इस्पात और सीमेंट उत्पादन की कीमत में वृद्धि होगी

» कोल इंडिया या आदिवासियों की जमीन बेहद कम दरों पर निजी निगमों को सौंप दी जाएगी

सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए सरकार का धन लोगों से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इकठ्ठा कर संचित धन है। गरीब से गरीब भी अप्रत्यक्ष कर अदा करता है जब वह कोई भी वस्तु या सेवा बाजार से खरीदता है। और, अप्रत्यक्ष कर अपने देश में कुल टैक्स राजस्व का 2/3 भाग होते हैं!

उपरोक्त सभी और अन्य क्षेत्रों में, हमें यह याद रखना होगा कि निजी क्षेत्र आरटीआई के दायरे में नहीं आता! निजी सेवा–प्रदाता ग्राहक के प्रति जवाबदेह नहीं है।

हमें याद रखना चाहिए कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों के पास दसियों-लाख करोड़ रुपये की जबरदस्त संपत्ति है!

ये संपत्तियां इस प्रकार हैं:

» बहुत बड़े पैमाने पर जमीन, जिसमें महानगरों में लाखों एकड़ अत्यंत मूल्यवान जमीन शामिल है

» सैकड़ों कारखाने, भवन, कार्यालय, आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम आदि

» लाखों किलोमीटर की बिजली लाइनें

» दूरसंचार के लिए लाखों किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

हम फिर से इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इन सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण, मजदूरों की कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से एकत्र किए गए लोगों के खून–पसीने की कमाई के पैसे का निवेश करके किया गया है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि गरीबों में से सबसे गरीब जब भी बाजार में कुछ भी खरीदता है तब उसे अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। इस तरह वह भी सार्वजनिक संपत्ति के बनाने में अपना योगदान देता है। वास्तव में, अप्रत्यक्ष कर, देश में कुल कर वसूली का लगभग 2/3 (दो तिहाई हिस्सा) है!

ये सभी सार्वजनिक संपत्तियां जो हिन्दुस्तानी लोगों की हैं, सरकार उन्हें निजी कंपनियों को कौडियों के मोल बेचने या ज्यादा से ज्यादा निजी मुनाफा बनाने के लिए सौंप देना चाहती है।

सरकार को कर इकट्ठे करने का हक केवल इसलिए है क्योंकि लोगों का कल्याण और सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। परन्तु विभिन्न सरकारों ने इसके बिलकुल विपरीत काम किया है। दिन–पर–दिन हमने देखा है कि किस तरह विभिन्न सरकारों ने, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मूंह मोड़ लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन जैसी पहले से ही अपर्याप्त सेवाओं की उपेक्षा की है और इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया है। परिणामस्वरूप 189 देशों में से हिंदुस्तान मानव विकास सूचकांक पर 131 रैंक करता है, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से भी कम है।

सरकारें वास्तव में पूंजीपतियों के मुनाफे अधिकतम करने के लिए काम कर रही हैं। सरकार दलील देती है कि वह नुकसानकारी उद्यमों का बोझ सहन करने के हालत में नहीं है। इस तर्क को मान लें तो कौन पूंजीपति नुकसानकारी उद्यम में निवेश करेगा?

क्या कोई भी पूंजीपति अपनी दिलदारी दिखाने के लिए नुकसानकारी उद्यम को हाथ में लेता है? क्या वह अच्छी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ भी हाथ में लेता है? बिलकुल नहीं! यह स्पष्ट है कि पूंजीपतियों का केवल एक उद्देश्य होता हैः मुनाफा अधिकतम कमाना।

यह स्पष्ट है कि निजीकरण जनविरोधी, मजदूर-विरोधी और देश-विरोधी है!

उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों की सफल हड़ताल

महाराष्ट्र बैंक कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की बिक्री के खिलाफ विशाखा स्टील की सफल 10 किमी. मानव श्रृंखला

महाराष्ट्र बिजली कर्मचारियों का सफल आंदोलन

ट्रैक्शन मोटरों की आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों का सफल प्रदर्शन

निजीकरण को रोका जा सकता है और वापस भी लिया जा सकता है यदि महान संख्या में निजीकरण-विरोधी आंदोलन में उपभोक्ता शामिल हो जाएं और इस मांग के समर्थन में लामबंध हों कि

‘लोगों की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के लिए किया जाना चाहिए!’

न कि चंद इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफों के लिए।

हाल ही के अनेक संघर्षों ने दिखाया है कि एकजुट लड़ाई अधिक कोरपोरेटीकरण या निजीकरण को आगे होने से रोक सकी। इन संघर्षों की रिपोर्ट AIFAP की वैबसाईट पर उपलब्ध हैं।

आपके पैसे और मेहनत से बनी आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपका समर्थन आवश्यक है!

निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में शामिल हों!

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम के घटकः

01. एयर इंडिया एंप्लॉईज यूनियन (AIEU),
02. एयर इंडिया सर्विस इंजिनियर्स असोसिएशन (AISEA),
03. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA),
04. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF),
05. ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी और्गेनाइजेश्न्स (ऑल इंडिया परिसंघ),
06. ऑल इंडिया डिफेन्स एंप्लॉईज फेडरेशन (AIDEF),
07. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉईज (AIFEE),
08. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE),
09. ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC),
10. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन (AILRSA),
11. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एंप्लॉईज फेडरेशन,
12. ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एंप्लॉईज असोसिएशन – उत्तर रेलवे,
13. ऑल इंडिया पॉइंट्समैन असोसिएशन (AIPMA),
14. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF),
15. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF),
16. ऑल इंडिया रेलवे एंप्लॉईज कॉन्फेडरेशन (AIREC) – वेस्टर्न जोन,
17. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU),
18. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF),
19. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राईब रेलवे एंप्लॉईज असोसिएशन (AISCSTREA),
20. ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉईज फेडरेशन,
21. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स असोसिएशन (AISMA),
22. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स असोसिएशन (AITCA),
23. आंध्र प्रदेष स्टेट पॉवर एंप्लॉईज जॉइंट एक्शन कमिटी (APSPEJAC),
24. बहुजन समाजवादी मंच (BSM),
25. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एंप्लॉईज असोसिएशन, पलक्कड़, केरल,
26. भारत पेट्रोलियम टेक्निकल और नौन–टेक्निकल एंप्लॉईज असोसिएशन (BPTNTEA), मुंबई रिफाइनरी,
27. भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन (BRMU), हुबली,
28. बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच,
29. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) एंप्लॉईज यूनियन,
30. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) कामगार संगठन,
31. सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS),
32. सेंट्रल रेलवे ट्रैकमेंटेनर यूनियन (CRTU),
33. चित्तरंजन लोको वर्क्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
34. चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
35. कोचीन रिफाइनरीज वर्कर्स असोसिएशन (CRWA) - CITU,
36. कोचीन रिफाइनरी एंप्लॉईज असोसिएशन (CREA) - INTUC,
37. कंटेनर कारपोरेशन (CONCOR) एंप्लॉईज यूनियन,
38. कोयला मजदूर यूनियन (AITUC),
39. दक्षिण रेलवे एंप्लॉईज यूनियन (DREU),
40. डीजल लोको मोडर्नाइज़ेशन वर्क्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
41. डीजल लोको वर्क्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
42. डीएमडब्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब,
43. ईस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन (ERMU),
44. इलेक्ट्रीसिटी एंप्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI),
45. हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (INTUC),
46. हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF),
47. हिंद मजदूर सभा (HMS), तेलंगाना,
48. हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंप्लॉईज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी,

49. इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INEWF),
50. इंडियन रेलवे केटरिंग, टूरिज्म, ई–टिकटिंग स्टाफ फेडरेशन (NFIR),
51. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO),
52. इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCSO),
53. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु,
54. इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
55. जम्मू कश्मीर पॉवर एंप्लॉईज एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमिटी (JKPEECC),
56. जॉइंट एक्शन फ्रंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियन्स ऑफ बैंगलोर,
57. कामगार एकता कमिटी (KEC)/मजदूर एकता कमेटी (MEC)/Tozhilalar Ottrumai Iyakkam (TOI),
58. लोक राज संगठन (LRS),
59. मध्य प्रदेश यूनाईटेड फोरम ऑफ पावर एंप्लॉईज एंड इंजीनियर्स (MPUFPEE),
60. महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF),
61. महाराश्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर्स यूनियन,
62. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
63. मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (MCDLW), वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
64. मुंबई एवं उपनगर माध्यमिक षिक्षक संघ,
65. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट फ्लोटिला वर्कर्स असोसिएशन,
66. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रैलवेमेन (NFIR),
67. नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एंप्लॉईज (NFTE) - BSNL,
68. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS),
69. नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU), सेंट्रल रेलवे/कोंकण रेलवे,
70. नवल एम्प्लोयिज यूनियन, मुंबई, (AIDEF),
71. नीलाचल एक्झेक्यूटिव्ज़ असोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL),
72. नॉर्थ ईस्ट रेलवे मेन्स कांग्रेस (NERMC),
73. पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
74. पुडुचेरी बिजली विभाग निजीकरण/निगमीकरण विरोध समिति,
75. पुरोगामी महिला संगठन (PMS),
76. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
77. रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
78. रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब,
79. रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
80. रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
81. रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बैंगलोर, कर्नाटक,
82. रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश,
83. संचार निगम एक्जिक्यूटिव्ज असोसिएशन (SNEA) - BSNL,
84. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स असोसिएशन,
85. सिंगारेनी कॉलियरीज् वर्कर्स यूनियन (AITUC),
86. सिंगारेनी माय्नर्स एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (HMS), तेलंगाना,
87. साउथ सेंट्रल रेलवे कैटरिंग, हेल्पर्स एंड वर्कर्स यूनियन,
88. सदर्न रेलवे एमप्लोयीज संघ (NFIR-INTUC),
89. सबोर्डिनेट इंजीनियर्स असोसिएशन (MSEB),
90. सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC),
91. टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (TDF), मुंबई,
92. यूनियन टेरिटरी पावरमेन्स यूनियन, चंडीगढ़,
93. अनऔरगेनाईज्ड वर्कर्स एंड एंप्लॉईज कॉंग्रेस,
94. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (URMU),
95. वॉटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (CITU),
96. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एंप्लॉईज यूनियन (WCREU),
97. वैस्टर्न रेलवे मजदूर संघ (WRMS)।

कई और संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है!

एक क्षेत्र के मज़दूर दूसरे क्षेत्र के उपभोक्ता होते हैं।
निजीकरण के खिलाफ लड़ाई मजदूरों और उपभोक्ताओं दोनों की है।

हमारी संयुक्त लड़ाई से निजीकरण को रोका जा सकता है और वापस भी लिया जा सकता है!

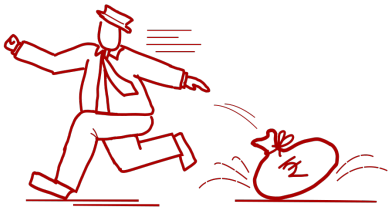

सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक हित के लिए

आपके पैसे से बनी सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एकजुट हों!

निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में शामिल हों!

फ़रवरी 2023 | प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए | स्वैच्छिक योगदान

वेबसाइट: hindi.aifap.org.in
ईमेल: contact@aifap.org.in
व्हाट्सप्प नंबर: +91 84540 18757

AIFAP
सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम

गूगल प्ले स्टोर पर
हमारा ऐप डाउनलोड करें!